राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

नवरात्र कार्यक्रम

देवस्थान विभाग के अंतर्गत बडी संख्या में देवी मंदिरों की संख्या विद्यमान हैं , जिनमें विभिन्न पर्वों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते रहे हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के देवी मंदिरों में नवरात्र कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नानुसार होंगे-

1 इसके अंतर्गत सामन्यतः देवस्थान विभाग के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के देवी मंदिरों में ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें, परन्तु कतिपय स्थानों के प्रसिद्ध अन्य मंदिरों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। इस हेतु संबंधित ट्रस्ट से समन्वय व सहयोग लिया जाएगा।

2 प्रत्येक जिले में सामन्यतःएक मंदिर का चयन किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 33 मंदिरों में आयोजन किया जाएगा।

3 कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-

- मंदिर की साफ-सफाई एवं साज सज्जा
- गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार
- घटस्थापन
- पूजन
- दुर्गासप्तशती पाठ
- कन्या पूजन
- आरती
- भजन-कीर्तन-जागरण (विशेषतः सप्तमी अथवा अष्टमी की रात्रि)

4 कार्यक्रम सामान्यतः प्रातः 9 बजे से प्रारम्भ होगा और सायं 4 बजे तक संचालित होगा।

5 भजन-कीर्तन का कार्य पूजन कार्य से पूर्व और पश्चात दोनों रूपों में किया जा सकता है। जिसे सुविधानुसार देर रात्रि तक भी किया जा सकता है।

- कार्यक्रम में पूजन हेतु मंत्रपाठ का दायित्व राजस्थान संस्कृति अकादमी के अंतर्गत चल रहे वेद विद्यालयों एवं संदीपनी आश्रम के आचार्यों को दिया जा सकता है। इस हेतु दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य व्यवस्था निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	**व्यय मद**	**व्यय प्रावधान**
1.	मंदिर की साफ-सफाई एवं साज सज्जा व गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार	14700
2.	पूजन सामग्री	2100
3.	भोग-प्रसाद हेतु	5000
4.	माईक एवं साउंड व्यवस्था हेतु	8000
5.	टेन्ट/दरी/पेयजल आदि अन्य व्यवस्था	3000
6.	प्रचार/प्रसार, आमंत्रण पत्र, फ्लेक्स आदि पर	4000
7.	आचार्य-1 दक्षिणा (रूपये 1100/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	9900
8.	अतिरिक्त पंडित/आचार्य अष्टमी एवं नवमी हेतु दक्षिणा (रूपये 1100/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	2200
9.	भजन-जागरण (जहां श्रद्धालुओं का आगमन न्यूनतम 1000 लोगों का हो)	15000
10.	मंदिर के पुजारी को व्यवस्थार्थ	1100
	कुल	**65000**

नोट:- कार्यक्रम में धनराशि की व्यवस्था विभाग के निधि मद से की जाएगी। माईक हेतु उपलब्ध राशि में से कोटेशन लेकर नवीन क्रय किया जाना भी उचित होगा। जिन मंदिरों में पहले से यह व्यवस्था है , वहाँ यह व्यय नहीं किया जाएगा।

- 5100/ रुपये के दानदाता को कार्यक्रम का यजमान बनाया जा सकता है। इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। इन्हें सहभागिता का को प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। भजन-जागरण हेतु भी आयोजक रखे जा सकते हैं। वहां पर आयोजक को स्वयं के व्यय पर फलेक्सी शीट पर अधिकतम 2 बैनर लगाने की अनुमति रहेगी, जिसमें वे भजन-जागरण हेतु आयोजन के सहयोगी के रूप में अपने नाम का अंकन कर सकेंगे। बैनर पर आवश्यक रूप से कार्यक्रम आयोजक के रूप में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का नाम अंकित होगा और उसकी साईज भजन-जागरण हेतु आयोजन के सहयोगी के नाम लेखन से कम नहीं होगी।
- कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व कुछ प्रमुख स्थलों पर इस संबंध में पोस्टर/बैनर लगाये जाने होंगे। ऐसे स्थलों में आयोजन हेतु चयनित मन्दिरों के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों के पास रेलवे स्टेशन , बस स्टेण्ड, जिला कलक्टर कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी कार्यालय , पंचायत समिति कार्यालय , नगरपालिका कार्यालय व चिकित्सालय प्रांगण में पोस्टर लगाये जा सकते है। पोस्टर के नीचे सम्पर्क सूत्र भी अंकित किया जाए। इसमें देवस्थान विभाग के चयनित मंदिर के नाम के अतिरिक्त सहायक आयुक्त , निरीक्षक एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी के समन्वयक के दूरभाष नम्बर अंकित किए जा सकते हैं। (प्रारूप संलग्न है)
- कार्यक्रम में प्रसाद हेतु सामान्यतः मिश्री तथा सूखे मेवे डाले जा सकते हैं। इस हेतु देवस्थान विभाग के नाम के साथ एक पैकेट बनवा लिया जाए, जिस पर निम्न नाम अंकित रहेंगे-

प्रसादम्

देवस्थान विभाग,

राजस्थान सरकार

<u>आपकी मनोकामना के फलीभूत होने की मंगल कामना सहित</u>

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पैकेट में मिश्री के साथ न्यूनतम छुआरा , किशमिश, 2 बादाम एवं नारियल गिरी हो।

- कन्या पूजन के बाद प्रत्येक बालिका को मिठाईयों एवं फल का भी वितरण किया जाए।

- इस कार्यक्रम के आयोजन में जनप्रतिनिधिगण एवं जन-सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति जिला न्यूनतम 1 हजार आमंत्रण पत्र मुद्रित कर वितरण हेतु प्रेषित किये जा रहे है। इनका वितरण देवस्थान विभाग के अधिकारी , पुजारी, प्रबन्धक आदि के अतिरिक्त जिला प्रशासन व नगरपालिका व पंचायत समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। आमंत्रण पत्र के पीछे भी बैनर के उक्त बिन्दुओं का अंकन किया जा सकता है, ताकि जन सामान्य को इसका पता रहे।

- इस कार्यक्रम के आयोजन में जनप्रतिनिधिगण एवं जन-सामान्य की भागीदारी अपेक्षित है। देवस्थान विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त कार्यालय सामान्यतः संभाग स्तरीय मुख्यालयों पर ही विद्यमान हैं , अतः इनके आयोजन में जिला प्रशासन की भूमिका भी आवश्यक होगी।

- कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व मंदिर के पुजारियों , व्यवस्थापकों, गणमान्य नागरिकों, दानदाताओं आदि की बैठक भी बुलाई जा सकती है , जिसमें उन्हें कार्यक्रम से सूचित करते हुए उनसे समन्वय और सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है।

- इस कार्यक्रम में विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली आयोजन राशि सीमित है इसमें जनप्रतिनिधियों एवं दान दाताओं के माध्यम से अतिरिक्त राशि का प्रबन्धन किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग मंदिर के श्रृंगार , मूर्ति के भोगराग, कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, श्रद्धालुओं हेतु प्रसाद वितरण, आयोजन हेतु आए विद्वानों के बेहतर भोजन प्रबन्धन , आयोजन स्थल पर सुविधा विकास आदि हेतु किया जा सकता है। कार्यक्रम के लिए आवश्यक वीडियोग्राफी , फोटोग्राफी, लाईटिंग, माइक/लाउडस्पीकर आदि की व्यवस्था में इस प्रकार का सहयोग विशेष आवश्यक होगा।

- कार्यक्रम के समय मंदिर में विशेष दान पात्र आरती के थाल के रूप में भी रखा जा सकता है जिसमें प्राप्त राशि का उपयोग कार्यक्रम पर हुए व्यय के पुनर्भरण/अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार एवं मंदिर के विकास हेतु

किया जा सकता है। इस हेतु कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त सबके समक्ष दानपात्र खोला जाकर अथवा राशि की गणना की जाकर उसका उपयोग किया जा सकता है।

- जिन मंदिरों में अधिक श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है , वहां पुलिस के माध्यम से आवश्यक कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक नियंत्रण की कार्यवाही की जाय।

- कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं वीडियो विभागीय अधिकारी अथवा जिला प्रशासन द्वारा देवस्थान विभाग के मेल आईडी devasthan@hotmail.com या devasthanrajasthan@gmail.com पर भेजे जा सकते है। उपयुक्त फोटोग्राफ्स को देवस्थान विभाग के फेसबुक पेज https://www.facebook.com/devasthanrajasthan/ पर भी अपलोड किया जा सकता है।

- कार्यक्रम के सफल आयोजन के उपरान्त समस्त आयोजकों को स्मृति-चिह्न भी दिये जाने उचित होंगे। इस हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र मुद्रित करा कर जिला प्रशासन के पास वितरण हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए पुरस्कार/पारितोषिक की भी व्यवस्था की जा सकती है।

- उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में किसी समस्या या समाधान के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से वार्ता की जा सकती है। इसके अन्तर्गत देवस्थान विभाग के अधिकारियों के दूरभाष नम्बर संलग्न हैं।

कार्यक्रम के लिए दान दाताओं और प्रायोजकों के सुलभ सन्दर्भार्थ करणीय कार्यों की सूची

Annexture -2

क्र.सं.	कार्य	दानदाता/प्रायोजक	सहयोग राशि
1	मंदिर के श्रृंगार, मूर्ति के भोगराग आदि हेतु		
2	टेन्ट, कुर्सी, दरी, छाया, लाईनिंग व्यवस्था आदि हेतु		
3	लाईटिंग, माइक/लाउडस्पीकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि हेतु		
4	कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार पोस्टर बैनर हेतु		
5	श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण हेतु		
6	आयोजन के लिए आए विद्वानों के बेहतर भोजन प्रबन्धन उपयुक्त दक्षिणा आदि हेतु		
7	मंदिर/आयोजन स्थल पर सुविधा विकास आदि हेतु		
8	अन्य कार्यों हेतु		

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांकः प. **4(37)**देव/**2017** जयपुर**,** दिनांकः **20** सितम्बर**, 2017**

शारदीय नवरात्र कार्यक्रम

(दिनांकः **21** सितम्बर**, 2017** से दिनांकः **29** सितम्बर**, 2017** तक)

शारदीय नवरात्र कार्यक्रम आयोजन हेतु चयनित देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय आत्म निर्भर एवं प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के **18** मन्दिरों की सूची

क्र.सं.	जिला	मन्दिर का नाम	श्रेणी
1.	जयपुर	मन्दिर श्री माता जी मावलियान, आमेर रोड़	रा.आ.निर्भर
2.	झुंझुनू	मन्दिर श्री देवी जी, कांकरिया, झुंझुनू	रा.आ.निर्भर
3.	भरतपुर	मन्दिर श्री कैलादेवी जी, झील का वाड़ा	रा.आ.निर्भर
4.	हनुमानगढ़	मन्दिर श्री भद्रकाली जी, हनुमानगढ़	रा.आ.निर्भर
5.	उदयपुर	मन्दिर श्री अम्बामाता जी, गोवर्धन विलास	रा.आ.निर्भर
6.	चित्तौड़गढ़	मन्दिर श्री अन्नपूर्णा जी, चित्तौड़गढ़	रा.आ.निर्भर
7.	प्रतापगढ़	मन्दिर श्री बाणमाता जी, किला परिसर, प्रतापगढ़	रा.आ.निर्भर
8.	जोधपुर	मन्दिर श्री ज्वालामुखी जी, पचेटिया	रा.प्र.प्रभार
9.	बीकानेर	मन्दिर श्री नागणेची माताजी	रा.प्र.प्रभार
10.	चूरू	मन्दिर श्री करणी जी, तारानगर, चुरू	रा.प्र.प्रभार
11.	कोटा	मन्दिर श्री डाढ़देवी माता जी, कोटा	रा.प्र.प्रभार
12.	बून्दी	मन्दिर श्री सतूर माता जी, सथूर	रा.प्र.प्रभार
13.	झालावाड़	मन्दिर श्री विश्वन्त माता जी	रा.प्र.प्रभार
14.	बारां	मन्दिर श्री कृष्णाई माता जी, रामगढ़	रा.प्र.प्रभार
15.	भीलवाड़ा	मन्दिर श्री आसीन्दराय माता जी, आसीन्द	रा.प्र.प्रभार
16.	डूंगरपुर	मन्दिर श्री विजवा माता जी, मोदपुर	रा.प्र.प्रभार
17.	बांसवाड़ा	मन्दिर श्री उत्तरकालिका माताजी, बांसवाड़ा (दक्षिण कार्यालय परिसर)	रा.प्र.प्रभार
18.	उत्तरकाशी	मन्दिर श्री एकादश रुद्र जी व अम्बिका जी (जयपुर मन्दिर) उत्तरकाशी	रा.प्र.प्रभार

नोटः- उक्त समस्त मंदिरों में देवी पूजन के साथ-साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ का कार्यक्रम होगा। संभाग स्तरीय मुख्यालयों में देवी भागवत पुराण के वाचन का भी कार्यक्रम होगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-

- गर्भगृह एवं मूर्ति का श्रृंगार
- घटस्थापन
- पूजन
- दुर्गा सप्तशती पाठ
- नवार्ण मन्त्र का जप/पाठ (संभाग स्तरीय मुख्यालयों पर)
- ललिता मन्त्र/रहस्य का जप/पाठ (संभाग स्तरीय मुख्यालयों पर)
- श्री मद् देवी भागवत पुराण का वाचन (संभाग स्तरीय मुख्यालयों पर)
- हवन
- कन्या पूजन
- आरती
- भजन-कीर्तन-जागरण (विशेषतः सप्तमी अथवा अष्टमी की रात्रि) (जहाँ संभव हो)